**संख्या-40/2020/1239/12-5-2020-100(9)/2009**

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-5** **लखनऊ:: दिनांक:: 26 नवम्बर, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 06-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने तथा भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०/अभि०/जिप्सम/250/2020-21, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 06-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने तथा भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में रू० 284.05 लाख के सापेक्ष रू० 142.00 लाख (रू० एक करोड़ बयालीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेनिशयल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए कार्ययोजना में अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। एक मद से दूसरे मद में धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। व्यय के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण माहवार/जनपदवार निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- अन्य योजनाओं से समन्वय करते समय लाभार्थी चयन एवं क्रियान्वयन में द्विरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए। प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

7- वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी तथा प्राविधानित बजट सीमा के अन्तर्गत ही भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

8- योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची एवं योजना का पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाए।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- कृषि निदेशक उ0प्र0 जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। योजना का इम्पैक्ट एसेसमेन्ट कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो के पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

10- उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 06-मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने तथा भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के मानक मद 27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020, एवं 18 मई, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा क्रय एवं निविदा संबंधी शासकीय दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

**संख्या-40/2020/1239/12-5-2020, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा0 मंत्रीगण, मा0 सांसद, मा0 विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध करने का कष्टकरें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।